



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 09 मामलों में कुल 17 अभियुक्तों को 25 हजार 250 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 09 मामलों में कुल 17 अभियुक्तों को 25 हजार 250 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 34/21 धारा 279/338 भादवि के अभियुक्त बलराम पुत्र रामचन्द्र निवासी सिजनौड़ा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 133/06 धारा 323/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-कमलेश पुत्र मंगलिया, 2-संतोष पुत्र गौरी व 3-दिनेश पुत्र सुखलाल निवासीगण झंझरीपुरवा थाना जसपुरा जनपद बांदा को **कुल 4500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग 85/23 धारा 323/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-अयोध्या उर्फ गुड्डू, 2-बाबादीन व 3-बुद्धविलाश पुत्रगण रघुनन्दन निवासीगण नांदादेव थाना जसपुरा जनपद बांदा को **कुल 4500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 72/11 धारा 323/427/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-लोचन केवट व 2-रामबहादुर पुत्रगण मईयादीन केवट निवासीगण बरेहटा थाना जसपुरा जनपद बांदा को **कुल 3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
5. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 13/14 धारा 323/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-मैना पत्नी रामस्वरूप, 2-सुशीला पत्नी मलखान व 3-सुनीता पत्नी जयकरन निवासीगण गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को **कुल 4500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
6. महिला थाना पर पंजीकृत अभियोग- 23/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कौशकी उर्फ सोहनी पुत्र सूर्य कुमार शुक्ला निवासी शंभू नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
7. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 85/15 धारा 60 आब0अधि0 के अभियुक्त शिवकरन पुत्र रामप्रसाद निवासी कुंडा डोल थाना जसपुरा जनपद बांदा को **750/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
8. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 112/23 धारा 60 आब0अधि0 के अभियुक्त कमला पत्नी विशाली निवासी खैरी मजरा गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
9. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 02/02 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-शिवकुमार पुत्र शिवराम व 2-शिवप्रसाद पुत्र सुखनंदन निवासीगण कैथी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व **कुल 3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।